भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 873
(11 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई सड़कों की मरम्मत और रखरखाव

873. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनायी जा रही सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है;
(ख) इन सड़कों के निर्माण के पश्चात इनकी मरम्मत तथा रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों में निर्माण तथा रखरखाव के संबंध में तय मानकों के उल्लंघन की घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विशेष रूप से बिहार में ऐसी कितनी चूकों का पता चला है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राम कृपाल यादव)

(क): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों का निर्माण तथा सड़क परिसंपत्तियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में 3 स्तरों वाली सुगठित गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था है। पहले स्तर के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों (पी ईयू) से यह अपेक्षित है कि वे क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी के संबंध में अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करें। निर्माण के शुरू ती चरण, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी दूसरा

स्तर है। तीसरे स्तर के अंतर्गत गुणवत्ता की निगरानी तथा क्षेत्रीय कर्मियों को वरिष्ठ व्यवसायियों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराने के लिए सड़क कार्यों के रेंडम निरीक्षण के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) तैनात किए जाते हैं। तीसरे स्तर की व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी के धार पर जहां कहीं वश्यक हो वहां सुधारात्मक उपाय राज्य सरकारें करती हैं।

(ख): इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे संपूर्ण कोर नेटवर्क, विशेषकर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित/उन्नयन किए गए सड़क कार्यों का रखरखाव करें। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाए गए समस्त सड़क कार्य ठेकेदार के साथ किए जाने वाले निर्माण कार्य के ठेके सहित शुरू ती पंचवर्षीय रखरखाव के ठेके में शामिल होते हैं। नियमित रखरखाव अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव ग्रामीण सड़क नियमावली एसपी 20 (2002) के अध्याय 11 में परिभाषित सेवा योग्य मानकों तथा ग्रामीण सड़कों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के विनिर्देशों, 2014 में उल्लिखित रखरखाव विनिर्देशों के अनुसार किया जाना होता है। निर्माणोपरांत पंचवर्षीय रखरखाव की यह अवधि समाप्त होने पर पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर साइकल के अनुसार नवीकरण सहित पंचवर्षीय रखरखाव के ंचलिक रखरखाव ठेकों में शामिल किया जाना होता है।

(ग): सड़क के निर्माण व रखरखाव की अवधि के दौरान सड़क की गुणवत्ता की जांच पी ईयू, एसक्यूएम और एनक्यूएम करते हैं तथा उस जांच की जानकारी कार्यनिष्पादन एजेंसी को दी जाती है। एनक्यूएम द्वारा वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों के धार पर शुरू त में 'असंतोषजनक (यू)' श्रेणी में डाली गई परियोजनाओं की कुल संख्या इस प्रकार है:

निर्मित कार्य		निर्माणाधीन कार्य		रखरखाव	
कुल	यू %	कुल	यू %	कुल	यू %
2308	7.27%	13730	8.59%	6460	27.11%

इनमें से अधिकांश परियोजनाओं में एनक्यूएम द्वारा दर्शाए गए दोषों को सुधार लिया गया है और विस्तृत की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटी□ र) संबंधित पी□ ईयू ने प्रस्तुत कर दी है।

(घ) : बिहार राज्य में वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरु□ त में एनक्यूएम की रिपोर्टों में असंतोषजनक गुणवत्ता ग्रेडिंग पाने वाली परियोजनाओं की कुल संख्या इस प्रकार है:

निर्मित कार्य		निर्माणाधीन कार्य		रखरखाव	
कुल	यू %	कुल	यू %	कुल	यू %
543	12.89%	1768	14.59%	980	43.67%

राज्य ने सूचित किया है कि संबंधित अभियंताओं और इन कमियों के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। एक कार्यपालक अभियंता को बरखास्त कर दिया गया है, एक कार्यपालक अभियंता को पदावनत कर दिया गया है और मैटास्टेटिक प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धियां रोककर और तीन वर्ष के लिए पदोन्नति पर रोक लगाकर तीन अभियंताओं को दंडित किया गया है। 106 ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है, 3682 को निलंबित किया गया है, 351 कार्यों को समाप्त किया गया है तथा धनराशि की वसूली के लिए ठेकेदार के विरुद्ध 242 प्रमाणपत्र मामले दायर किए गए हैं।

****